अध्याय 1: प्रस्तावना

1.1 विहंगावलोकन

सहकारी संस्थाएं

सहकारी[1] व्यक्तियों का एक स्वायत्त संघ है जो संयुक्त रूप से स्वामित्व तथा लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं तथा महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक रूप से एकजुट होते हैं। सहकारी संस्थाएं, सदस्यों द्वारा स्वामित्व और नियंत्रित किए जाने वाली कानूनी रूप से स्थापित संस्थाएं अथवा कारोबारी उद्यम होती हैं, जिसके लिए वे कार्य भी करती हैं। कारोबारी स्वामित्व के अन्य रूपों से सहकारिता को पृथक करने की मूल विशेषता यह है कि इसका प्राथमिक उद्देश्य लाभ कमाने के बजाय सदस्यों के लिए कार्य करना है।

1.2 सहकारी समितियां: परिभाषा, शासकीय अधिनियम

1.2.1 भारत में सहकारी समितियों का गठन तथा कार्य चालन सहकारी समिति अधिनियम 1912, केन्द्रीय अधिनियम द्वारा शासित किए जाते है। अधिनियम की धारा 4 सहकारी समिति को "एक ऐसी समिति के रूप में परिभाषित करती है जिसका उद्देश्य सहकारी सिद्धांतों के अनुसार इसके सदस्यों के आर्थिक हितों का संवर्धन करना है"। यह अधिनियम कृषकों, दस्तकारों और सीमित साधनों के व्यक्तियों के बीच मितव्ययिता तथा स्वयं सहायता को बढ़ावा देने के लिए सहकारी समितियों के गठन को सुगम बनाता है।

तत्पश्चात, भाग IXबी को संविधान (सत्तानवें संशोधन) अधिनियम, 2011 के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया। यह सहकारी समितियों को 'किसी भी राज्य में वर्तमान में लागू सहकारी समितियों से संबंधित किसी भी कानून के अन्तर्गत पंजीकृत या पंजीकृत समझे जाने वाली समिति' के रूप में परिभाषित करता है।

आगे, सहकारी समितियां को भारतीय संविधान[2] की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के अन्तर्गत सूचीबद्ध किया गया है। राज्य के कानून सहकारी समितियों (बहुराज्यीय सहकारी समितियों के अलावा जो एक से अधिक राज्य में

1 स्रोत: संयुक्त राष्ट्र वेबसाईट, www.un.org/development/desa/Co-operatives

2 भारत के संविधान की अनुसूची VII, सूची II, मद 32

परिचालित होती है) के निगमन, नियमन तथा समापन को शासित करते है जो कि स्वैच्छिक गठन के सिध्दांत, लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, सदस्य-आर्थिक भागीदारी, स्वायत्त कार्यचालन पर आधारित है। संबंधित राज्य सरकारें तथा राज्य द्वारा नियुक्त किए गए सहकारी समिति पंजीयक (आरओसीएस) राज्यों में सहकारी समितियों को मॉनीटर तथा विनियमित करते है।

कोई सहकारी समिति, सहकारी सिध्दान्तों के अनुसार सदस्यों के हितों के संवर्धन के लिए स्थापित तथा पंजीकृत की जा सकती है। सहकारी समिति का पंजीकरण कराने के लिए कम से कम 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। पंजीयक द्वारा हस्ताक्षरित पंजीकरण का प्रमाण-पत्र इस बात का निर्णयात्मक साक्ष्य होगा कि इसमें उल्लिखित समिति विधिवत पंजीकृत है जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता कि समिति का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। पंजीयक भी समिति को उपविधि में प्रमुख प्रयोजन के अनुसार शासकीय अधिनियमों में निर्धारित समितियों की श्रेणी तथा उप-श्रेणी में वर्गीकृत करता है।

1.2.2 एक से अधिक राज्य में कार्य करने वाली सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन तथा समापन को बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 द्वारा शासित किया जाता है। संघीय सहकारी समितियों को उनकी गतिविधियों के स्वरूप के सन्दर्भ में वर्गीकृत किया जा सकता है। संघीय सहकारी समिति को परिचालन के एक ही क्षेत्र में सामान तथा एकरूप प्रयोजन में एक से अधिक समिति को पंजीकृत नहीं किया जाएगा।

1.3 सहकारी बैंक: परिभाषा, शासकीय अधिनियम

1.3.1 सहकारी बैंक एक सहकारी समिति होती है जोकि किसी राज्य या केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होती है अथवा पंजीकृत की गयी समझी जाती है तथा जो बैंकिंग कारोबार से जुड़ी हुई हो। इस प्रकार सहकारी बैंक वे हैं जो उन केन्द्रीय अथवा राज्य नियामक कानूनों द्वारा शासित होते हैं जो एकल राज्य सहकारी समितियों तथा बहु-राज्यीय सहकारी समितियों को शासित करते हैं जो भारत के संविधान में केन्द्रीय विषय[3] के रूप में सूचीबद्ध 'बैंकिंग' को शासित करने वाले विनियामक कानुनों के अलावा हैं। बैंकिंग गतिविधियों को शासित करने वाले लागू कानून निम्नवत् हैं:

3 भारत के संविधान की सूची-I, मद 45, अनुसूची VII

क) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934;

ख) बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 का भाग v जो सहकारी बैंकों पर लागू है;

ग) बैंकिंग विनियम (संशोधन) तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 2004; तथा

घ) बैंकिंग विधि (सहकारी समितियों पर लागू) अधिनियम, 1965

1.3.2 बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 को उसमें धारा 56 को समाविष्ट करके 1966 में सहकारी बैंकों पर लागू किया गया था। बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, के महत्वपूर्ण प्रावधान जो सहकारी बैंकों पर लागू हैं, निम्नवत् हैं:

(क) अधिनियम प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पीएसीएस[4]) तथा किसी सहकारी भूमि बंधक बैंक पर लागू नहीं होगा।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक सहकारी बैंक को दिया गया लाईसेंस रद्द कर सकता है यदि बैंकिंग कारोबार को बैंक बन्द कर देता है अथवा बैंक लाईसेंस जारी करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाई गई किन्ही शर्तों का पालन नहीं करता है।

1.4 सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों की कर देयता

1.4.1 आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 2(19) के अनुसार सहकारी समिति का अर्थ उस सहकारी समिति से है जो सहकारी समिति अधिनियम 1912 (2 से 1912) अथवा सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए किसी राज्य में लागू उतने समय के लिए लागू किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत है। सहकारी समिति अथवा सहकारी बैंक, जो सहकारी समिति अधिनियम (राज्य अथवा केन्द्रीय अधिनियम) के अन्तर्गत पंजीकृत है, उसे एक 'निर्धारिती' ही माना जाता है जो आयकर अधिनियम 1961 (अधिनियम) के प्रावधानों के अन्तर्गत आयकर का भुगतान करने के लिए दायी है तथा इसलिए प्रत्येक ऐसी सहकारी समिति अथवा सहकारी बैंक को अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित किया जाता है और किसी अन्य निर्धारिती की तरह ही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आयकर का निर्धारण करने के लिए दायी है।

4 प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पीएसीएस) एक ग्रामीण सहकारी ऋण संस्था है जो जिला अथवा राज्य स्तर पर प्रचालित होती है तथा जो ग्रामीण सहकारी बैंकिंग खंड का भाग है।

1.4.2 सहकारी समिति अथवा सहकारी बैंक के मामले में आय की कर देयता के लिए कोई सीमा-रेखा नहीं है। निर्धारण वर्षों के संबंध में सहकारी समितियों के लिए लागू वित्त अधिनियमों में निर्धारित स्लैब दर पर कर लगाने के लिए आय दायी होती है। कोई सहकारी समिति अथवा सहकारी बैंक को आयकर रिटर्न भरने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा अधिसूचित नियत तिथि तक आईटीआर-5 प्रपत्र में आय की रिटर्न भरनी होती है। अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों के लिए अपेक्षित अन्य अनुपालन के साथ-साथ स्थायी खाता संख्या (पैन[5]) प्राप्त करना तथा कर कटौती व संग्रहण खाता संख्या (टैन[6]) पंजीकरण, अग्रिम करों का भुगतान, स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस[7]) की त्रैमासिक रिटर्न भरने सहित स्रोत पर कर की कटौती के प्रावधानों, अधिनियम की धारा 44एए के अन्तर्गत निर्धारित लेखा बहियों तथा अन्य दस्तावेजों का अनुरक्षण; अधिनियम की धारा 44एबी के अन्तर्गत लेखापरीक्षा यदि कारोबार से प्राप्तियां निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक हैं; वैकल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी[8]) का उदग्रहण शामिल है।

1.5 हमने यह विषय क्यों चुना

सहकारी क्षेत्र में सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के रूप में पंजीकृत सत्वों की संख्याओं में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई। जैसा कि नीचे दिए गए ग्राफ से स्पष्ट है।

क. **सहकारी समितियों के संबंध में वृद्धि:** 2009-10 से 2016-17 के दौरान सहकारी समितियों में 39.84 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की गई।

5 स्थायी खाता संख्या (पैन) आयकर विभाग द्वारा किसी भी व्यक्ति को आवंटित एक विशिष्ट दस अकों की अल्फा न्युमेरिक संख्या है जो इसके लिए आवेदन करता है।

6 टैन अथवा कर कटौती व संग्रहण खाता संख्या दस अंकों की अल्फा न्यूमेरिक संख्या है जो उन सभी व्यक्तियों को प्राप्त करना आवश्यक है जो कर की कटौती या संग्रहण के लिए उत्तरदायी है।

7 आयकर अधिनियम के अनुसार, कोई व्यक्ति (कटौतीकर्ता) जो किसी अन्य व्यक्ति (कटौती होने वाला) को निर्दिष्ट प्रकृति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, स्रोत पर कर कटौती करेगा और केन्द्र सरकार के खातों में उसे प्रेषित करेगा।

8 वैकल्पिक न्यूनतम कर, वह न्यूनतम कर है जो अधिनियम की धारा 115जेसी के अन्तर्गत सामान्य कर के प्रति वैकल्पिक उदग्राहय है तथा जो व्यक्तियों के संघ (एओपी) सहित गैर-निगमित कर दाताओं के लिए लागू है।

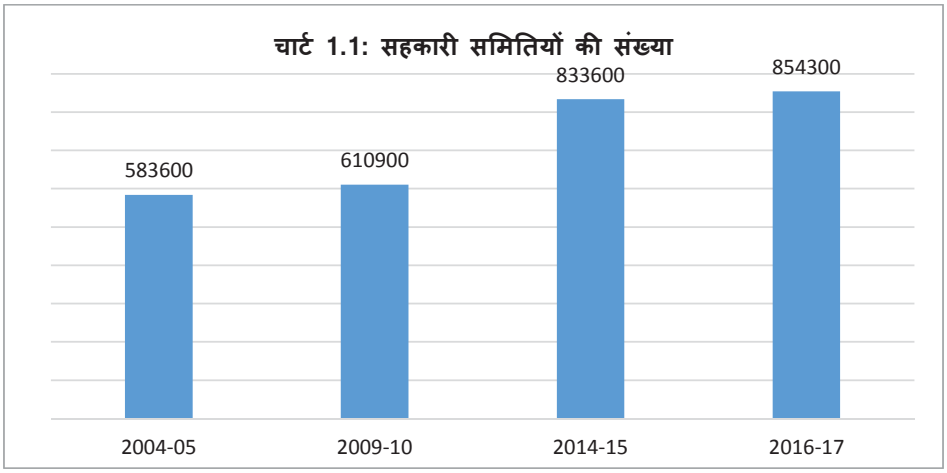

स्रोत: एनसीयूआई, सांख्यिकीय प्रोफाईल 2018

ख.**बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के संबंध में वृद्धि:** बहु-राज्यीय सहकारी समितियों का पंजीकरण वर्ष 2012 से 2014 के दौरान अपेक्षाकृत उच्च था, जैसा कि नीचे देखा जा सकता है:

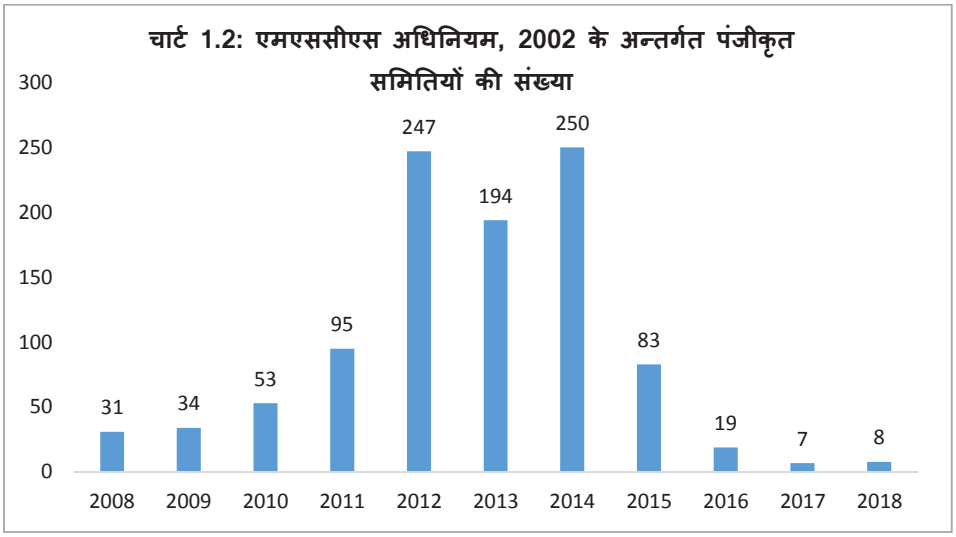

स्रोत: https://mscs.dac.gov.in/ChartYear.aspx

ग. **सहकारी बैंकों की वृद्धि:** वर्ष 2014-15 के बाद सहकारी बैंकों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी। वि. वर्ष 2013-14 से वि. वर्ष 2017-18 के बीच की अवधि के दौरान देश में सहकारी बैंकों की संख्या को नीचे चार्ट में दिखाया गया है:

चार्ट 1.3: वि. वर्ष 2013-14 से वि. वर्ष 2017-18 के दौरान भारत में सहकारी बैंकों की संख्या

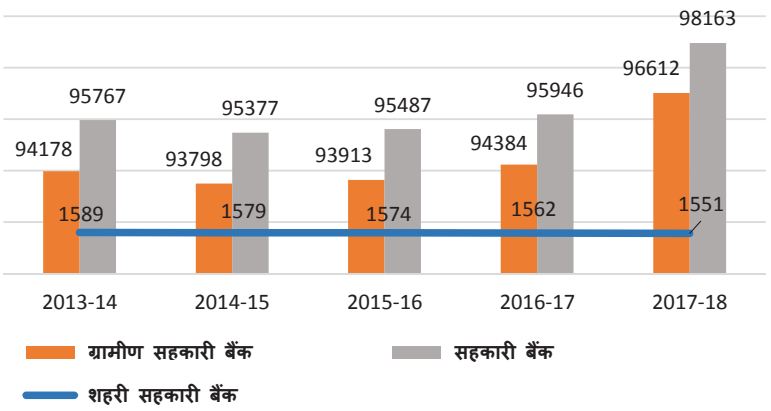

स्रोत: आरबीआई

जैसा कि ऊपर बताया गया सहकारी क्षेत्र सहकारी समितियों के साथ-साथ सहकारी बैंकों दोनों की संख्याओं में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है। वे उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार कर के अधीन है। इस विषय का चयन निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए किया गया था ताकि निम्नलिखित सीमा तक उसकी जांच की जा सके:

- आयकर नेट में सहकारी समितियों की कवरेज;
- कर आधार को विस्तृत तथा मजबूत बनाना; और
- वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन।

1.6 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित की जांच करना है:

i. क्या सहकारी क्षेत्र में सभी सत्व कर नेट में है तथा आयकर रिटर्न भरी जा रही हैं और कर की देय राशि के उदग्रहण के लिए निर्धारित किया जा रहा है;

ii. आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत सहकारी क्षेत्र के निर्धारितयों को विशिष्ट प्रावधानों के लिए अनुपालन की प्रकृति तथा सीमा; और

iii. निर्धारण प्रक्रिया के दौरान अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के लिए अनुपालन की प्रकृति तथा सीमा।

1.7 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा में शामिल किए जाने वाले सहकारी क्षेत्र के निर्धारितियों के संबंध में रिटर्नों का डेटाबेस वि.वर्ष 2014-15 से 2017-18 के लिए आयकर महानिदेशालय (सिस्टम) [डीजीआईटी (सिस्टम)] से मांगा गया था। डीजीआईटी (सिस्टम) ने सहकारी समितियों, सहकारी बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) [2,36,997 अभिलेख] के संबंध में वि.वर्ष 2014-15 से 2016-17[9] के दौरान निर्धारित आयकर रिटर्न (आईटीआर[10]) का निर्धारण अधिकारी-वार कुल डेटा तथा निर्धारिती वार डेटा प्रदान किया। सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों के नमूना चयन के लिए 1,97,898 अभिलेखों की संख्या पर पहुँचने के लिए अनन्य कारोबार कोड 807 (एनबीएफसी से संबंधित) को बाहर रखा गया। तथापि, डीजीआईटी (सिस्टम) ने लेखापरीक्षा के साथ साझा किए गये मामलों के प्रास्थिति कोड[11] प्रदान नहीं किए थे। 1,97,898 अभिलेखों का वित्तीय वर्ष वार विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है:

तालिका 1.1: वि.वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए डीजीआईटी (सिस्टम) द्वारा साझा किए गये अभिलेखों का विवरण

[राशि ₹ करोड़ में]

वि.वर्ष	अभिलेखों की संख्या	विवरणी की आय	निर्धारित आय	उठाई गई मांग	अशोदय तथा संदिग्ध ऋणों की राशि	अशोदय तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	धारा 80पी के अन्तर्गत कटौती
2014-15	47241	7060.06	28883.23	9121.22	17.82	410.15	3301.36
2015-16	68330	22065.93	38128.69	6709.82	156.35	1387.11	8938.62
2016-17	82327	47267.70	65210.30	5678.52	331.81	2016.77	88495.51

स्रोत: डेटा डीजीआईटी (सिस्टम), आयकर विभाग द्वारा प्रदान किया गया

9 डीजीआईटी (प्रणाली) के सहकारी क्षेत्र से संबंधित आईटीआर के कुल डेटा तथा निर्धारिती वार डेटा जिसे वि.वर्ष 2017-18 के दौरान निर्धारित किया गया था तथा जिसे क्षेत्रीय लेखापरीक्षा आरंभ होने से पहले योजना बनाने के उद्देश्य से मांगा गया था, क्षेत्रीय लेखापरीक्षा की पूर्णता (सितम्बर 2019) की ओर प्रेषित किया गया।

10 आयकर रिटर्न (आईटीआर) एक प्रारूप है जिसमें कर-दाता अपनी अर्जित आय तथा उपयुक्त आय कर की जानकारी आयकर विभाग को देता है।

11 प्रास्थिति कोड- प्रास्थिति कोडों को, करदाता की स्थिति, चाहे व्यक्तिगत हो, हिन्दु अविभाजित परिवार (एचयूएफ), फर्म, स्थानिय निकाय, सहकारी बैंक, सहकारी समिति, कोई अन्य एओपी या बीओपी, सरकारी कंपनी, निजी कंपनी, अथवा अन्य की स्थिति को पहचानने के लिए आयकर विभाग द्वारा प्रयोग किया जाता है। सहकारी बैंक के लिए प्रस्थिति कोड 03 है तथा सहकारी समिति के लिए 04 है।

1,97,898 अभिलेखों का विश्लेषण किया गया था तथा लेखा मानदंड़ों पर आधारित निष्कर्षण को नमूना पर पहुँचने के लिए क्षेत्रवार अलग किया गया था, जिसका विवरण इस अध्याय के पैरा 1.8 में दिया गया है।

1.8 चयनित और लेखापरीक्षित नमूना

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए नमूना, लेखापरीक्षा द्वारा किए गये जोखिम निर्धारण के अनुसार, 2014-15 से 2016-17 की अवधि के लिए आयकर विभाग (आयकर विभाग) द्वारा प्रदान किए गये डेटा से लिया गया था। इस नमूना में अतिरिक्त निर्धारण मामले भी शामिल थे जिसे 2014-15 से 2016-17 के लिए आयकर विभाग डेटा से प्राप्त किए गये नमूनों से चयनित पैन के संबंध में 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान अन्तिम रूप दिया गया तथा बहु-राज्यीय सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों के मामले बहु-राज्यीय सहकारी समिति (एमएससीएस) की वेबसाईट पर उपलब्ध बहु-राज्यीय सहकारी समितियों की सूची से पहचाने गये थे। सभी राज्यों/क्षेत्रों[12] के संबंध में लेखापरीक्षा के लिए चयनित मामलों के विवरण नीचे सारणीबद्ध किए गये है:

तालिका 1.2: नमूना चयन

क्रम संख्या	**चयनित नमूना**	**मामलों की संख्या**
1	चयनित प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त की संख्या	291
2	चयनित निर्धारण प्रभारों की संख्या	1726
3	नमूना आकार	9282[13]
4	प्रस्तुत नहीं किए गये मामलों की संख्या	412
5	आयकर विभाग द्वारा भेजे गये डेटा में मामलों की संख्या जो सहकारी समिति अथा सहकारी बैंकों की श्रेणी नहीं आते	400[14]
6	कुल (4+5)	812
7	**निष्पादन लेखापरीक्षा (3-6) में कवर किए गये मामलों की संख्या**	**8470**

निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल किए गये उपरोक्त मामलों के अतिरिक्त अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान देखे गये सहकारी समितियों तथा सहकारी

12 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर पूर्व क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ओड़िशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल

13 81 एमएससीएस मामलों सहित

14 इन मामलों में कंपनी, स्थानीय प्राधिकरण, ट्रस्ट अथवा एओपी के पैन पंजीकरण की प्रास्थिति के साथ निर्धारतियों के निर्धारण शामिल थे लेकिन सहकारी समिति अथवा सहकारी बैंक के रूप में पंजीकृत नहीं थे।

बैंकों के संबंध में 128 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को इस प्रतिवेदन के अध्याय 4 में पृथक रूप से शामिल किया गया है।

1.9 बाध्यताऐं/ अभिलेखों का गैर-प्रस्तुतीकरण

लेखापरीक्षा ने, लेखापरीक्षा संविक्षा के लिए 1,726 निर्धारण प्रभारों से सहकारी समिति तथा सहकारी बैंकों से संबंधित 9,282 नमूना मामले के अभिलेखों (एमएससीएस के 81 मामलों सहित) की मांग की थी। चुने हुए नमूनों में से, 412 (4.44 *प्रतिशत*) मामले लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गये थे।

आयकर विभाग ने सहकारी क्षेत्र से संबंधित निर्धारितियों के विशिष्ट वर्गीकरण तथा संहिताकरण के लिए सहकारी समितियों (04) तथा सहकारी बैंकों (03) को विशिष्ट प्रास्थिति कोड दिये थे जिसे निर्धारितियों द्वारा भरी गई आईटीआर के माध्यम से कैप्चर किया जाता है। सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के निर्धारिती-वार विवरण डेटा के प्रास्थिति कोड को लेखापरीक्षा को प्रेषित नहीं किया गया था जबकि कोडों को आयकर विभाग प्रणाली के माध्यम से कैप्चर किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के लिए केन्द्रित जोखिम निर्धारण, पृथक रूप से, नहीं निकाला जा सका। आयकर विभाग ने सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों (जुलाई 2020) के निर्धारिती-वार विस्तृत डेटा के संबंध में प्रास्थिति कोड विवरण प्रदान नहीं करने के लिए कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया।

1.10 चयनित नमूने का स्वरूप

चयनित नमूने में महाराष्ट्र राज्य/क्षेत्र से चुने गए लगभग 24.7 *प्रतिशत* मामले शामिल थे। चयन में दर्शाये गये अन्य प्रमुख राज्यों/क्षेत्रों में गुजरात, केरल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड से क्रमशः 9.8 *प्रतिशत*, 9.0 *प्रतिशत*, 7.9 *प्रतिशत* और 7.6 *प्रतिशत* नमूने एकत्र किये गये थे। सभी क्षेत्रों/ राज्यों से चयन किए गए थे। परिशिष्ट 1 में लेखापरीक्षा नमूने का क्षेत्रवार/ राज्यवार विवरण है।

निर्धारण अभिलेखों के अनुसार कारोबार/गतिविधि की प्रकृति के विवरण की उपलब्धता के आधार पर लेखापरीक्षा में पाया गया कि सहकारी क्षेत्र में लगभग 59.8 *प्रतिशत* निर्धारिती बैंकिंग, क्रेडिट और वित्तीय सेवाओं (पीएसीएस सहित) से जुड़े थे इसके पश्चात व्यापार (8.4 *प्रतिशत*), चीनी (5 *प्रतिशत*) और आवास (4.7 *प्रतिशत*) थे। विवरण परिशिष्ट 2 में हैं।

चयनित निर्धारितियों में व्यक्तियों का संघ (एओपी) की प्रास्थिति के अतिरिक्त एओपी (ट्रस्ट), कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (एजेपी), कंपनी, फर्म, स्थानीय प्राधिकरण या वैयक्तिक निकाय (बीओआई) के पैन पंजीकरण प्रास्थिति वाले निर्धारिती शामिल थे। जबकि 78.4 *प्रतिशत* निर्धारितियों को एओपी के रूप में आयकर विभाग के साथ पंजीकृत किया गया था, 2.6 *प्रतिशत* बीओआई के रूप में पंजीकृत थे और शेष 19 *प्रतिशत* गैर-एओपी/ बीओआई जैसे ट्रस्ट, एजेपी, फर्म, स्थानीय प्राधिकरण और कंपनी के रूप में पंजीकृत थे।

लेखापरीक्षा में जांचे गए 96.9 *प्रतिशत* मामलों में, आईटीआर-5 के माध्यम से रिटर्न दाखिल किये गये थे। बाकी मामलों[15] में आईटीआर-2 (2 मामले), आईटीआर-2डी (15 मामले), आईटीआर-4 (18 मामले), आईटीआर-6 (13 मामले) और आईटीआर-7 (21 मामले) का उपयोग निर्धारितियों द्वारा उनके रिटर्न दाखिल करने के लिए किये गये थे।

1.11 आभार

लेखापरीक्षा आवश्यक डेटा/रिकॉर्ड/सूचना प्रदान करने और इस निष्पादन लेखापरीक्षा प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में आयकर विभाग के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करती है। इस निष्पादन लेखापरीक्षा के आरंभ में, 6 मार्च, 2019 को सीबीडीटी/आयकर विभाग के साथ एक एंट्री कांफ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र और निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य फोकसवाले क्षेत्रों के बारे में बताया गया था। सबसे पहले मंत्रालय/सीबीडीटी को उनकी टिप्पणियों के लिए 21 मई 2020 को ड्राफ्ट निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की गई थी। जुलाई 2020 में सीबीडीटी की प्रतिक्रिया प्राप्त होने के बाद सीबीडीटी के साथ उनकी टिप्पणियों की तुलना में लेखापरीक्षा निष्कर्षों और लेखापरीक्षा सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए 16 जुलाई 2020 को एक एग्जिट कांफ्रेंस आयोजित की गई थी। सीबीडीटी की प्रतिक्रिया और एग्जिट कांफ्रेंस चर्चा को शामिल करते हुए 19 अगस्त 2020 को संशोधित रिपोर्ट मंत्रालय/सीबीडीटी को जारी की गई थी। संशोधित रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया 1 सितंबर 2020 को प्राप्त हुआ था। चर्चा के परिणाम, सीबीडीटी की टिप्पणियाँ और लेखापरीक्षा टिप्पणियों को निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में विधिवत शामिल किया गया है।

15 शेष 16 मामलों (0.19 *प्रतिशत*) में रिटर्न दाखिल नहीं किया गया और 177 मामलों (2.09 *प्रतिशत*) में आईटीआर फॉर्म की जानकारी का पता नहीं लगाया जा सका।